न्यायालय सिविल जज (क0प्र0) महमूदाबाद सीतापुर।

दी0 वाद सं0—403 / 2016

मैकू आदि बनाम सोहनलाल आदि

02.02.2021

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभय—पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। वास्ते प्रतिउत्तर नियत है। वादी की ओर से प्रार्थना—पत्र 17क बाबत प्रतिस्थापन के निस्तारण पर बल दिया गया।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

**निस्तारण प्रार्थना—पत्र 17क—**

वादी की ओर प्रा0 पत्र 17क अं0 आदेश 22 नियम 3 एवं आदेश 6 नियम 17 जा0 दी0 मय शपथ—पत्र प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया कि वादी सं0 1 मैकू पुत्र बुलाकी की मृत्यु दौरान मुकदमा हो गयी है, जिनके वैध उत्तराधिकारी उनके पुत्र अलीशेर एवं शमशेर हैं, जिनको मृतक वादी सं0 1 मैकू के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः मृतक वादी के स्थान पर उनको वाद में प्रतिस्थापित किये जाने हेतु संशोधन की अनुमति प्रदान की जावे। प्रार्थना—पत्र पर प्रतिवादीगण की कोई आपत्ति दाखिल नहीं है।

सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

प्रा0 पत्र 17क अं0 आदेश 22 नियम 3 जा0 दी0 वादी सं0 1 मैकू की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विधिक वारिस के प्रतिस्थापन के बाबत प्रस्तुत किया गया है जो कि वाद के गुण—दोष के निस्तारण हेतु आवश्यक है। यदि कोई उपशमन दोष उत्पन्न हुआ है तो वह भी समाप्त किये जाने योग्य है। चूंकि प्रा0 पत्र औपचारिक प्रकृति का हैं। अतः प्रा0 पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

**आदेश**

प्रार्थना—पत्र प्रतिस्थापन 17क स्वीकार किया जाता है। वादी संशोधन अन्दर सप्ताह करे। उत्पन्न उपशमन को समाप्त किया जाता है। वास्ते अग्रिम आदेश / तनकीह दि0 07.04.2021 को पेश हो।

सिविल जज जू0 डि0
महमूदाबाद, सीतापुर।
J.O. Code-UP-2293

अजय / स्टेनो—